बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब[3] –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

प्रांचार्य,
प्राचार्य, कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार, लोकनायक जयप्रकाश प्रौ॰ संस्थान, छपरा तथा दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 112–इंजीनियरी /तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम'' विपत्र कोड 43-2203001120101 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1690, दिनांक 19.07.2017 के द्वारा पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिला में नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने हेतु पुस्तक/जरनल सहित अन्य कार्यालय सामग्री के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रू॰ 8,00,000=00 (आठ लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल रू॰ 24,00,000=00 (चौबीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तद्‌नुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13–कार्यालयी व्यय विस्तृत शीर्ष के 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से संबंधित मेंटर संस्थानों को रू॰ 24 00,000=00 (चौबीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

क्रम	विषयशीर्ष	कटिहार अभि॰ महावि॰, कटिहार	लो॰जयप्रकाश प्रौ॰ संस्थान, छपरा	दरभंगा अभि॰ महावि॰, दरभंगा	आवंटित कुल राशि (रूपये में)
	1301 कार्यालय व्यय	800000=00	800000=00	800000=00	2400000=00
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)

(क) आठ लाख रूपये मात्र। (ख) आठ लाख रूपये मात्र। (ग) आठ लाख रूपये मात्र।
(घ) चौबीस लाख रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561/वि॰(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, कटिहार, छपरा एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– 2917(11) /पटना, दिनांक 23/8/017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.08.17
निदेशक

22/8/17